

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 जनवरी 2015—पौष 24, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2015

शुद्धि-पत्र

क्र. 222-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 8, दिनांक 7 जनवरी 2015 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2015) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक तथा कोष्ठक पढ़े जाएं:—

सारणी

| अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा कोष्ठक | राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियों जिसमें वे शब्द, अंक तथा कोष्ठक आए हैं | शुद्ध शब्द, अंक तथा कोष्ठक जो कि पढ़े जाएं |
|---|--|--|
| (1)                                     | (2)  | (3)  |
|   | पृष्ठ  | पंक्ति                                     |
| (1) 2006                                | 16   | 10 2014                                    |
| (2) 2.                                  | 16(6)  | 10 (2)                                     |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.